राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–133/2015/अलवर

मै. बालाजी केटलफिड्स प्रोपराईटर श्री किशनलाल अग्रवाल पुत्र यशोदानन्द अग्रवाल, निवासी वार्ड नं. 9 मानपुरा, बहरोड़, जिला अलवर। ...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक बहरोड़, जिला अलवर। ...अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विकास पाराशर
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.03.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अलवर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 29.12.2014 प्रकरण संख्या 36/2013 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक बहरोड़ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पंजीयन हेतु संशोधित लीज डीड दिनांक 18.10.2012 दस्तावेज क्रमांक 3488 उपपंजीयक बहरोड़, द्वारा पंजीयन कर लौटा दिया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय कलक्टर स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी मै. बालाजी केटलफिड्स प्रोपराईटर श्री किशनलाल अग्रवाल पुत्र यशोदानन्द अग्रवाल द्वारा दिनांक 18.10.2012 को प्लाट नं. 91–113 औधोगिक क्षेत्र बहरोड की संशोधित लीज डीड वास्ते पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय बहरोड में पेश की जिसे उपपंजीयक, बहरोड़ द्वारा पंजीयन कर लौटा दिया गया। तत्पश्चात प्रार्थी को नोटिस जारी कर 1,42,900/– रू. की वसूली हेतु नोटिस जारी किया। प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। रेफरेन्स का आधार यह था कि संशोधित लीज डीड मै. बालाजी केटलफिड्स बहरोड के बीच में निष्पादित है जिसमे आधार दस्तावेज श्री किशनलाल

लगातार.....2

पुत्र श्री यशोदानन्दन अग्रवाल क्रेता के नाम से पंजीबद्ध है। उक्त संशोधित लीज डीड में विधिक स्वरूप व्यक्ति के बजाय फर्म के नाम होने से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क देय है। विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), अलवर ने प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मै. अनमोल इण्डस्ट्रीज जरिये प्रो. सतपाल सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह ने प्लाट नं. 91–113 औधोगिक क्षेत्र बहरोड़ को किशनलाल पुत्र यशोदा नन्दन को जरिये बैयनामा दिनांक 25.04.2012 खरीद किया एवं इस समय विक्रय पत्र की मालियात 22,22,130/– रू. मानते हुए मुद्रांक शुल्क प्राप्त कर उपपंजीयक, बहरोड़ ने दस्तावेज पंजीयन किया। तत्पश्चात रीको ने आदेश दिनांक 15.07.2012 द्वारा लीज होल्डर राईट जो मै. अनमोल इण्डस्ट्रीज प्रो. के पास थे जिसका ट्रांसफर शुल्क दो प्रतिशत की दर से कुल 24,000/– प्राप्त कर संशोधित लीज डीड का निष्पादन उपपंजीयक, बहरोड़ द्वार किया गया एवं प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि प्लाट बाबत पंजीयन शुल्क दिनांक 25.04.2012 को पूर्व में ही अदा किया जा चुका है इसलिए पुनः बाजार मूल्य पर मुद्रांक शुल्क अदा किये जाने का कानूनन नोटिस प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता एवं फर्म एकल स्वामित्व है जिसके प्रोपराईटर किशनलाल पुत्र यशोदानन्द है जिससे संशोधित लीज डीड पर पुनः बाजार मूल्य पर मुद्रांक शुल्क वसूलना विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं है इसलिए उक्त रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2014 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मालियत 22,22,130/– रू. तय की एंव उक्त मालियत पर कमी मुद्रांक 01,09,910/– रू. सरचार्ज 11,000/– रू. कमी पंजीयन शुल्क 21,990/– कुल 1,42,900/– रू. पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 के अनुसार निष्पादित दिनांक 17.10.2012 से निर्णय दिनांक तक शास्ति 75,460/– रू. 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज 37,730/– रू. कुल 02,56,090/– रू. प्रार्थी से वसूल करने के आदेश प्रदान कर दिए जिससे अप्रसन्न होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

लगातार.....3

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि कलक्टर (मुद्रांक), अलवर का निर्णय दिनांक 29.12.2014 न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्व होकर निर्णय जेर निगरानी निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि उनके द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संशोधित लीज डीड बाबत प्रस्तुत किया गया था एवं प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बिना बहस सुने ही एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को भी दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र द्वारा कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया एवं संशोधन लीज डीड जिस बाबत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसको नजर अंदाज कर दिया गया एंव उक्त लीज डीड जो कि वे ऑफ असाइन्मेन्ट थी जिस बाबत किसी भी प्रकार का कोई मुद्रांक शुल्क देय नही था इसके उपरान्त भी प्रार्थी पर शास्ति व मालियात शुल्क वसूल के आदेश देने में घोर अवैधानिकता कारित की है जिससे उनके द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि संशोधित लीज डीड के संबंध में मुद्रांक कर वसूली हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.07.2014 में सरचार्ज शास्ति व ब्याज को कोई प्रावधान नहीं है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं राज्य सरकार के परिपत्र से भी परे जाकर संशोधित लीज डीड पर शास्ति राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज एवं मुद्रांक शुल्क लगाने के साथ ही ब्याज, शास्ति की भारी राशि आरोपित कर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

लगातार.....4

8. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स इस आधार पर था कि संशोधित लीज डीड मै. बालाजी केटलफिड्स बहरोड के पक्ष में निष्पादित है जिसमे आधार दस्तावेज श्री किशनलाल पुत्र श्री यशोदानन्दन अग्रवाल क्रेता के नाम से पंजीबद्ध है। उक्त संशोधित लीज डीड में विधिक स्वरूप व्यक्ति के बजाय फर्म के नाम होने से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क देय है।

9. विचाराधीन प्रकरण में औधोगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड प्लाट नं. जी–1–113 औधोगिक क्षेत्र बहरोड़ मै. अनमोल इण्ड. द्वारा प्रोपराईटर श्री सतपाल सिंह द्वारा श्री किशनलाल पुत्र यशोदानन्दन के पक्ष में जरिये विक्रय पत्र पंजीबद्ध दिनांक 25.04.2012 द्वारा विक्रय किया गया था जिसके संबंध में संशोधित लीज डीड रीको द्वारा श्री बालाजी केटलफिड्स प्रोपराईटर श्री किशन अग्रवाल पुत्र श्री यशोदानन्दन अग्रवाल के पक्ष में दिनांक 17.10.2012 को पंजीबद्ध करवाई गई है।

10. निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण नहीं दिया है।

अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय का क्रियाशील भाग निम्न प्रकार है :–

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विभागीय पैराकार की बहस को भी सुना गया। अप्रार्थी अभिभाषक बहस हेतु कई अवसर ले चुके हैं। आज अप्रार्थी अभिभाषक के द्वारा श्री राहु कुमार गुप्ता एडवोकेट को प्रकरण में नियुक्त कर न्यायालय में भिजवाया जिनके द्वारा भी प्रकरण में बहस नहीं की गई। पकरण जनवरी 2013 से लम्बित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है। अतः उपपंजीयक का रेफरेन्स यथावत स्वीकार किया जाकर मालियत 2222130/– तय की जाती है। उक्त मालियत पर कमी मुद्रांक 109910/– सरचार्ज 11000/– कमी पंजीयन शुल्क 21990/– कुल 142900/– पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनंका 14.07.14 के अनुसार दस्तावेज की निष्पादन दिनांक 17.10.2012 से निर्णय दिनांक तक शासित 75460/– 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज 37730/– कुल 256090/– अप्रार्थी से वसूल करने के आदेश दिये जाते है। एक माह में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार ब्याज भी वसूल हो।

लगातार............5

उपरोक्त क्रियाशील के भाग के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स जो कि इस बिन्दु पर आधारित था कि " संशोधित लीज डीड में विधिक स्वरूप व्यक्ति के बजाय फर्म के नाम होने से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क देय है " तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने अपने जवाब दिनांक 09.04.2014 में रेफरेन्स का खण्डन भी किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब पर कोई विचार नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्य स्वीकार करने के कोई आधार अंकित किये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पारित किया है।

11. कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी के तथ्यों का विवेचन किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया है, जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। पीठासीन अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे पीठासीन अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। पीठासीन अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

"…. To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it

लगातार.....6

discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश दिनांक 29.12.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.04.2017 को पेश हों।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य